प्राथमिकता / समयबद्व

मनीषा पंवार
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

अर्द्धशा0 पत्र सं0 / 125 / रा.यो.आ./2018–19 टी.सी.–I
देहरादून दिनांक 02 मार्च 2021
रा0यो0आ0, नियोजन विभाग।

महोदय / महोदया,

राज्य के नियोजित विकास एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सिद्धान्तों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधित) अध्यादेश, 2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 की जिला योजना संरचना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूर्ण किया जाना है। जनपद स्तर पर जिला योजना संरचना का कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होने के दृष्टिगत जिला योजना संरचना के कार्यों को विशेष महत्ता प्रदान करते हुए जिले की आवश्यकताओं / प्रतिबद्धताओं का गहन परीक्षण कर जिला योजना तैयार की जाय।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु सम्यक विचारोपरान्त जिला योजना 2021–22 हेतु ₹ 698.78 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। समाज कल्याण विभाग की सहमति के उपरान्त एस.सी.एस.पी एवं टी.एस.पी. मदों सहित जनपदवार फॉंट परिशिष्ट–I में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 की जिला योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:–

1. **अवशेष / चालू कार्यों** की अधिकता के दृष्टिगत अधिकतम 50% प्रतिशत धनराशि पुराने चालू कार्यों / बचनबद्ध मदों / मानदेय भुगतान (पी.आर.डी. स्वयं सेवक) हेतु सुनिश्चित की जाय। जिन जनपदों में चालू कार्य शेष नहीं हैं अथवा नये कार्य प्रस्तावित किया जाना आवश्यक हो, उन्हें ही अपरिहार्य स्थिति में जिला योजना प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाय।
2. **शेष 50% (प्रतिशत) धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाय:–**

(क) प्राथमिक, माध्यमिक, इण्टर कॉलेज, प्राविधिक विद्यालयों का नवीनीकरण (Renovation), कक्षों का निर्माण, रख–रखाव, शौचालयों का निर्माण / मरम्मत, विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) में वृद्धि तथा उच्च गुणवत्ता के आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ई–लर्निगं / पुस्तकालय / लैब निर्माण / उच्चीकरण हेतु जनपदों की यथावश्यक कम से कम 10% (प्रतिशत) धनराशि के प्रस्तावों को जिला योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाय।

अवस्थापना सुविधायें सृजन करने हेतु शहरी क्षेत्रों एवं पर्यटन क्षेत्रों के विकास यथा– पार्क निर्माण, लघु पार्किगं, शौचालय निर्माण, लाईटिंग व्यवस्था, शहरों में जल भराव से निजात पाने हेतु नालियों एवं नालों का निर्माण / मरम्मत तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों के आधारभूत अवस्थापना कार्यों से सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों हेतु यथासम्भव 5% (प्रतिशत) धनराशि के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाय।

शिक्षा विभाग के उक्त 10% धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों से संस्तृप्ति (Saturation) होने की स्थिति में शेष धनराशि के सापेक्ष यथा आवश्यकता शहरी क्षेत्रों के कार्यों हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किये जा सकेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की योजनाओं हेतु प्रस्तावित 5% धनराशि के सापेक्ष संस्तृप्ति (Saturation) होने की स्थिति में शेष धनराशि के सापेक्ष शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ख) स्वास्थ्य तथा महिला एवं बालविकास सेवाओं को बेहतर करने हेतु जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) आदि का रख–रखाव, एम्बुलेंस सर्विस (कय एवं पी.ओ.एल.) स्वास्थ्य उपकरणों का कय, स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों की

मरम्मत/निर्माण कार्यों एवं महिला तथा बालविकास की योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों/उपकेन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु कम से कम 10% (प्रतिशत) धनराशि के प्रस्तावों को जिला योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाय।

(ग) **स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** देने हेतु उद्यान, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, आदि विभागों तथा आजिविका से सम्बन्धित कार्यों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाय। इस हेतु अन्य केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं से Convergence तथा Cluster approach को बढावा दिया जाय। इसके अतिरिक्त सिंचाई, लघु सिंचाई के सिंचित क्षेत्र को बढाने हेतु तथा कृषि–उद्यान को Support एवं per drop more crop के सिद्धान्त पर कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं, शीत भण्डारण, पैंकिग एवं प्रसंस्करण इत्यादि कार्यों को सम्मिलित किया जाय। स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं में कम से कम 15% (प्रतिशत) धनराशि के प्रस्तावों को जिला योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाय।

(घ) शेष 10% धनराशि के सापेक्ष जनपद में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार सम्बधित विभागों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाय।

(ड़) जिला योजना में ऐसी योजनायें/कार्यक्रमों को प्रायः न रखा जाय जो राज्य योजना/केन्द्र पोषित योजना में संचालित/वित्त पोषित हों ताकि समानान्तर योजनाओं की पुर्नसवृत्ति न हो। यदि केन्द्रीय/राज्य सेक्टर योजनाओं में लक्ष्य कम होने की स्थिति में यथावश्यक जिला योजना से अतिरिक्त Target हेतु funding की जाती है तो ऐसी योजनाओं में सब्सिडी का अंश Regular योजनाओं के अनुरूप ही रखा जाय।

(च) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिला योजना में वेतन भुगतान के मदों हेतु धनराशि का प्राविधान न हो।

उत्तराखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप चालू योजनाओं की महत्ता, योजना के स्थानीय लाभ, रोजगार सृजन की सम्भावनायें, उत्पादकता तथा अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं का परीक्षण, जिला योजना समिति द्वारा इस दृष्टिकोण से अवश्य कर लिया जाय कि ऐसी योजनायें/कार्यों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी रखे जाने की आवश्यकता का अभिमत है अथवा नहीं। योजनाओं के गहन परीक्षणोंपरान्त अनावश्यक/अनुपयुक्त योजनायें जिनकी उपादेयता अब क्षेत्र के लिये आवश्यक नहीं रह गयी है, जीरो बेस बजटिंग के सिद्धान्त के आधार पर समीक्षा करके यथा आवश्यकता उन्हें समाप्त किया जाये। विभिन्न समरूपी योजनाओं को एकीकृत (Rationalization) करके योजनाओं को प्रोजेक्ट रूप में समयबद्ध पूर्ण करने हेतु जिला योजनाओं में रखा जाय।

जिला योजना के लिये निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विभागवार Write Up निम्न को सम्मिलित करते हुये नियोजन विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

i. सेक्टर/कार्ययोजना के उद्देश्य एवं लक्ष्य तथा आउटकम
ii. सेक्टर/कार्ययोजना की दृष्टि (Vision)
iii. अभिनव पहल (New Initiatives)
iv. नई/चालू योजनाओं का योजनावार औचित्य सहित संक्षिप्त विवरण
v. जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की सम्भावित पूर्ति का विवरण

उपरोक्त विवरण के साथ ही निम्न चार नक्शों को भी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायः–

पहले नक्शे में जिले की मूल भौतिक रेखायें स्पष्ट दिखायी जाये। इसमें कन्टूर (Contour) द्वारा ऊँचाई, वर्षा, नदियाँ, वन क्षेत्र, मिट्टी की प्रधान किश्में, भूमिगत जल की उपलब्धता, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पानी के भराव (Water Logging) क्षेत्र, कटान ग्रस्त (Ravines) क्षेत्र दिखाये जायें।

दूसरे नक्शे में फसल पद्धति (Cropping Pattern) दिया जाय। विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी इंगित कर दिया जाय। इसी नक्शे में औद्योगिक केन्द्र, प्रमुख उद्योगों के स्थल, आदि भी प्रदर्शित किये जाये।

तीसरे नक्शे में संचार प्रणाली, सड़क एवं विद्युत वितरण लाइनों के केन्द्र दर्शाया जाय। विद्युत वितरण में स्पष्ट रूप से 133 के0वी0, 66 के0वी0, 33 के0वी0 एवं यथा संभव 11 के0वी0 का अंकन किया जाय। प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला मार्गों के रूप में प्रदर्शित किया जाय। सिंचाई प्रणाली में नहरों एवं गूलों की लम्बाई/क्षमता भी यथा सम्भव दी जाय।

चतुर्थ नक्शे में प्रशासनिक केन्द्रों, तहसील एंव विकास खण्डों को दिखाया जाय। साथ ही निम्न विवरण को भी दर्शाया जाय।

1. 1000 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
2. 500 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
3. नगर निगम/नगर पालिकाओं
4. स्वास्थ्य सुविधायें
5. शिक्षण संस्थायें
6. पशु चिकित्सा सुविधायें
7. कृषि सेवा केन्द्र
8. बीज, उर्वरक एवं कीट नाशक वितरण केन्द्र
9. बैंकिग एवं ऋण सुविधा केन्द्र
10. पेयजल सुविधा
11. कलस्टरों का विवरण

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं उत्तराखण्ड़ जिला योजना समिति (संशोधित) अध्यादेश, 2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 की जिला योजना संरचना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जाय तथा नियमानुसार अनुमोदित जिला योजना को संलग्न निर्धारित प्रारूप सं0–1 से 7 में हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी ई–मेल planning39@gmail.com में राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग को दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न यथोपरि।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0 सं0–475125/रा.यो.आ./2018–19, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निजी सचिव, मा0 प्रभारी मंत्रीगण, जिला योजना समितियों को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने विभागाध्यक्षों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिला योजना संरचना के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश भेजने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को इस आशय से प्रेषित कि जिला योजना 2021–22 हेतु जनपदवार SCSP/TSP के लिए निर्धारित फॉंट के कम में विस्तृत मार्ग–निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री को मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
10. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

जिला योजना वर्ष 2021–22 की संरचना हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

जनपद में विनियोजन न केवल जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से होता है अपितु जिला स्तर पर अन्य स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए जिला स्तर पर भी विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके उसके अधिकतम उपयोग तथा नियमित अनुश्रवण किया जाना चाहिये।

1. अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों का उपयोग

जनपदों में सृजित परिसम्पत्तियों का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा विभागों से इनके उपयोग का प्रणाम–पत्र प्राप्त कर लिया जाय ताकि निर्मित परिसम्पित्तियों का लाभ जनसामान्य को सुलभ हो सके।

2. अधूरे कार्यों/चालू योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता

विगत वर्षों में अनुमोदित योजनाओं में पर्याप्त धनराशि आवंटित होने के बावजूद भी अधिकांश निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं, जिससे योजना का लाभ लक्षित वर्ग को नहीं मिल पाता है। ऐसे सभी निर्माण संबंधी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु वरीयता निर्धारित की जाय, अर्थात पहले उन योजनाओं को पूर्ण किया जाय जिन पर 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, तदोपरान्त 50 प्रतिशत इसके पश्चात 25 प्रतिशत से अधिक कार्य वाली परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु जिला योजना में सम्मिलित किया जाय।

लोक निर्माण विभाग, जलनिगम एवं सिंचाई विभाग (नलकूप सहित) जैसे विभागों को राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजना से भी धनराशि प्राप्त होती रहती है इसलिए उक्त विभागों की अपेक्षा अन्य विभागों को जिला योजना में प्राथमिकता दी जाये।

3. प्राकृतिक जल स्रोतों का संवर्धन एवं वर्षा जल का उपयोग

राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के स्राव में निरन्तर हो रही कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि जल के कुशल प्रबन्धन एवं मितव्ययी उपयोग के साथ–साथ जल स्रोतों के जल समेट क्षेत्रों (Catchment area) में संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यो को विशेष प्राथमिकता दी जाय। अतः यह आवश्यक है प्रस्तावित योजनाओं में जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को भी अनिवार्य रूप से प्रस्तावित किया जाय। प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना एवं कृषकों की आय दुगनी करना, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अतः जल की निरन्तर बढ़ रही माँग को देखते हुए वर्षा जल के दोहन एवं उपयोग की नितान्त आवश्यकता है। समस्त विकास कार्यों में वर्षा जल का भण्डारण एवं उपयोग के साथ–साथ वर्षा जल को छत के माध्यम से एकत्रित कर उसको अघरेलू कार्यों हेतु उपयोग किया जाय। उद्यान विभाग/जल संरक्षण के कार्यों को मनरेगा/नरेगा से डबटेलिंग किया जाय।

4. अन्तर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता

जल संस्थान, लघु सिंचाई, वन एवं पर्यावरण आदि विभागों में मरम्मत की योजनाओं पर धनराशि आवंटित करने से पहले निर्माण वर्ष एवं मरम्मत की पुनरावृत्तियों को आवश्यक रूप से संज्ञान में लाया जाय। जहां आवश्यक हो, यथासम्भव अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर समन्वित रूप से प्रस्ताव बनायें जायें ताकि कार्यों की अधिव्याप्ति (Overlapping) न हो। यथा–कृषि, उद्यान, सिंचाई, लघु सिंचाई, पशुपालन/चारा बैंक, दुग्ध एवं मत्स्य विकास, ग्राम्य विकास/पंचायतीराज आदि विभागों के कार्यक्रमों में Integrated Cluster Approach से अधिक लाभ मिल सकेगा। इस हेतु Integrated Information Development System तैयार किया जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव का Micro Integrated Plan तैयार कर प्रस्ताव दिये जाय।

5. अन्तर्विकासखण्डीय संकेतकों का प्रयोग

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पिछड़े/असेवित क्षेत्रों/बार्डर ऐरिया ब्लाकों को विकास कार्यक्रमों से प्रथमतः आच्छादित किया जाय। अतः अवस्थापना से संबंधित विभाग योजना प्रस्ताव तैयार करने में विकासखण्ड स्तरीय संकेतांकों के आधार पर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करें ताकि संतुलित विकास की अवधारणा साकार हो सके। प्रत्येक ब्लॉक में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC survey) के आधार पर वंचित (deprived) जनसंख्या का भी इसके लिये संज्ञान लिया जाय।

6. अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन

रोजगार पूरक योजनायें यथा–मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, डेरी, उघोग, फलोत्पादन, शहतूत, वृक्षारोपण एवं अन्य स्थान विशेष के लिये उपयोगी रोजगार पूरक योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया जाय। जनपद में संचालित नवप्रवर्तन एवं उपलब्ध संसाधनों के विदोहन के आधार पर योजनायें तैयार की जाय ताकि जनपदों से पलायन को रोका जा सकें। **पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पलायन प्रभावित ग्रामों में ऐसी योजनायें रखी जाय जो पलायन रोकने में सहायक हो सके।**

7. पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन (Forward & Backward Linkages)

विशेषकर उत्पादन से जुड़े हुए विभागों के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन बढ़ाने/गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन से संबंधित समस्त पहलुओं पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन पर सम्यक विचार कर लिया जाय। उदाहरणार्थ–फलों के उत्पादन बढाने हेतु फल, पौधों, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं, वित्त पोषण, रख–रखाव, प्रशिक्षण आदि पूर्वगामी पहलुओं तथा फल उत्पादन के उपरान्त विपणन, शीत भण्डारण, पैंकिग, प्रसंस्करण इत्यादि पश्चगामी पहलुओं/प्रभावों पर पूर्व में ही विश्लेषण कर लिया जाय। इस हेतु Cluster Approach को प्राथमिकता दी जाय, जिससे उत्पादित सामग्री का विक्रय/ लाभार्जन सुचारू रूप से सम्पादित हो सके।

8. विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं से डबटेलिंग के आधार पर वित्त पोषण

विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन करने के साथ युगपतीकण एवं केन्द्राभिसरण (Dovetailing and Convergence) किया जाय। इससे राज्य संसाधनों पर व्यय भार कम हो सकेगा। इस सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय संसाधनों से समन्वय आवश्यक है। योजना प्रस्तावों में इन कार्यक्रमों की गत 05 वर्षो की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों के आधार पर कार्य योजना तैयार कर ली जाय।

9. जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर किये जा रहे नवमेशी/ नवाचार (Innovation) कार्यक्रमों को लिया जाना आवश्यक है, इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि नवाचार कार्यकम के अन्तर्गत जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार/नवप्रवर्तन कार्यक्रमों को पायलेट के रूप में संचालित किया गया है, जो अत्यन्त सफल भी रहें है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न जनपदों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में E-Learning/IT आधारित शिक्षा के प्रयोग, एक गॉव एक खेत (One village One Farm) जिसके अन्तर्गत एक ही गॉव में Virtual Consolidation (आपसी सहमति के अस्थायी चकबन्दी) के आधार पर एकीकृत कृषि विकास जिसमें सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बेमौसमी सब्जी (पॉली हॉउस) मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि शामिल है तथा बालिकाओं के विद्यालयों में सैनेट्री नैपकिन, वैण्डिग मशीन, सैनेट्री नैपकिन निर्माण को लिया गया है। इको पर्यटन, विभिन्न प्रजाति के मशरूम उत्पादन गैनोंडर्मा मशरूम तथा गुच्छी मशरूम पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा हेतु लोहे के हल निर्माण एवं उपयोग वाटर एटीएम, इजराइल तकनीकी के आधार पर छोटे कम आकार के जोतों में कृषि/औद्योनिकी उत्पादन आदि इस प्रकार के कार्यक्रमों को जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे सामुदायिक आधार संगठन (CBOS) स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOS) के माध्यम से कराये जा सकते हैं।

10. उच्चतर विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों की साफ–सफाई, पेयजल की उपलब्धता तथा विद्युत बिलों के भुगतान हेतु जिला योजनान्तर्गत प्राविधान किया जाय।

11. सफल अभिनव परियोजनायें (Successful Innovative Projects) के अनतर्गत प्राइमरी विद्यालयों में e-Learning, बालिकाओं के विद्यालयों में सैनेट्री नैपकिन, वैण्डिग मशीन, सैनेट्री नैपकिन निर्माण, इजराइल तकनीकी आधारित कृषि, उद्यान प्रोत्साहन मेडिकल के अन्तर्गत Wellness Center का विकास, आयुष विकास, Emergence Medical Technician, कौशल कार्यक्रम, One village – One farm आधारित एकीकृत कृषि योजना रोजगार परक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय।

12. आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभाग जैसे पशुपालन, दुग्ध, कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, जड़ी–बूटी इत्यादि विभागों में प्रभावी समन्वय हेतु Gap Finding कर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाय।

13. जिला योजना के सदस्य सचिव, मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि जिला योजना की धनराशि, किसी भी स्थिति में Parking of Fund न हो। इस हेतु कार्य प्रारम्भ होने की दशा मे ही स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी को अवमुक्त की जाय।

14. निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु नियोजन विभाग के पूर्व शासनादेश सं0–624/जि0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप निर्माण कार्यों की जांच TAC एवं Third Party Inspection अनिवार्य रूप से करायी जाय। यथा आवश्यकता इस हेतु धनराशि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। साथ ही समस्त निर्माण कार्यों की Geo. Tagging भी करायी जाय।

15. जिला योजना में ऐसी योजनाओं/कार्यों का ही चयन किया जाय जिन कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष या अधिकतम 2 वर्ष में पूर्ण किया जा सके।

16. जिला योजना के सभी अस्थाई/स्थाई निर्माण कार्यों का नियमित अनुश्रवण किया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला स्तर के विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य तीन विभागों के अधिकारियों के दल द्वारा जिला नियोजन समिति से स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व, कार्य करते समय, कार्य पूर्ण होने पर, निम्न तीन सदस्यीय दल द्वारा सत्यापन/मूल्यांकन किया जायः–

I. अध्यक्ष– सम्बन्धित विभाग का उच्चाधिकारी

II. सदस्य– अन्य विभाग का उच्चाधिकारी (जिलाधिकारी की अनुमति से)

III. सदस्य– अन्य विभाग का उच्चाधिकारी (जिलाधिकारी की अनुमति से)

उक्त दल द्वारा कार्यस्थल की निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्यों की स्वीकृत धनराशि को दो भागों में सम्बन्धित कार्यो हेतु आंवटित किया जाय, साथ ही उक्त समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित/स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में निर्धारित गुणवत्ता सहित पूर्ण हों। स्वीकृत कार्यों के प्रस्तावित योजना अनुरूप सम्पादन एवं गुणवत्तायुक्त होने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित समिति का होगा।

17. वर्तमान में राज्य स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के अनुरूप योजना एवं बजट संरचना की जा रही है। इस कम में स्थानीय स्तर पर जिला योजनायें भी सतत् विकास लक्ष्यों के संकेतकों के आधार पर तैयार किये जाय। जिला योजनाओं में स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाय कि सम्बन्धित योजना से किन–किन सतत विकास लक्ष्यों एवम् उनके संकेतकों की पूर्ति सम्भव है तथा उक्तानुसार उनके लक्ष्य निर्धारित कर लिये जायं।

18. जिला योजना के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों के आउटकम का आंकलन किया जाना भी आवश्यक है। अतः जिला योजनाओं का आउटकम आधारित अनुश्रवण किया जाय।

19. जिला योजना के कार्यों में GIS का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

20. जिला योजना के अन्तर्गत आजिविका (Livelihood) से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता दी जाय।

21. विभागों द्वारा सौन्दर्यीकरण, साज–सज्जा जैसे प्रस्तावों को जिला योजना में स्वीकार न किये जायें यथा आवश्यकता इन कार्यों को विभागीय मदों से कराया जाय।

****

परिशिष्ट–I

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला योजना का जनपदवार फॉंट का विवरण

धनराशि लाख ₹ में

क्र.	जनपद का नाम	सामान्य	एस.सी.एस.पी	टी.एस.पी.	कुल आवंटित धनराशि (2+3+4)
0	1	2	3	4	5
1	नैनीताल	3907.00	942.00	57.00	**4906.00**
2	ऊधमसिंहनगर	3900.00	718.00	567.00	**5185.00**
3	अल्मोडा	3994.00	1214.00	16.00	**5224.00**
4	पिथौरागढ	3522.00	1197.00	297.00	**5016.00**
5	बागेश्वर	3013.00	1107.00	47.00	**4167.00**
6	चम्पावत	3334.00	713.00	31.00	**4078.00**
7	देहरादून	5381.00	899.00	671.00	**6951.00**
8	पौडी गढवाल	6915.00	1430.00	40.00	**8385.00**
9	टिहरी गढवाल	5588.00	1052.00	14.00	**6654.00**
10	चमोली	3944.00	1007.00	239.00	**5190.00**
11	उत्तरकाशी	4015.00	1251.00	84.00	**5350.00**
12	रूद्रप्रयाग	3289.00	766.00	10.00	**4065.00**
13	हरिद्वार	3703.00	981.00	23.00	**4707.00**
	योग	**54505.00**	**13277.00**	**2096.00**	**69878.00**

(छः सौ अठानब्बे करोड़ अठ्हतर लाख)